

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग

83

215/22


क्रमांक: एफ. 25(1)साप्र/2/2021

जयपुर, दिनांक 20/04/22

1. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।


--:परिपत्र:-

S.B. Civil Writ Petition No. 20051/2019 Bhagwati Singh (Since Deceased) through his legal heir Smt. Ombala Singh Vs. Raja Laxman Singh through his legal heirs. में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.02.2021 में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में भारत के संविधान में अनुच्छेद 363'ए' एवं छठवां संविधान संशोधन के बाद से समस्त न्यायालयों, अधिकरणों, लोक कार्यालयों एवं राज्य के किसी भी मंच के समक्ष किसी भी प्रकार के प्रकरणों में तथा किसी भी दस्तावेज में नाम से पहले शीर्षक/टाइटल का प्रयोग जिन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 18 एवं 363'ए' द्वारा निषेध कर दिया गया है जैसे राजा, नवाब, महाराजा एवं राजकुमार आदि का उपयोग प्रतिबन्धित किया जाना सुनिश्चित करावें।


(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
4. प्रोगामर, सामान्य प्रशासन विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


शासन सचिव